File No. Suo Motu–04/19

27.08.2020

As the matter has been dealt in detail by Sri U.K. Dubey, Member in the capacity of Acting Chairperson and a detail order has been passed on 01.10.2019 and matter is pending for response of the Home Department on response filed by the families of the deceased. In the above view of the matter, let this matter be transferred to the file of Mr. U.K. Dubey, Member for final disposal.

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson

(File No.- SUO MOTU- 04/19)

03.09.2020

माननीय अध्यक्ष के दिनांक 27.08.2020 के आदेश के आलोक में संचिका उपस्थापित की गयी।

संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला सीतामढ़ी जिलान्तर्गत डुमरा थाना के लॉकअप में पुलिस द्वारा दो व्यक्तियों, मो0 गुफरान आलम व मो0 तसलीम अंसारी, की पीट–पीट कर उसकी मृत्यु कारित किए जाने संबंधी दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित समाचार के आधार पर आयोग द्वारा उपरोक्त मामले में स्वप्रेरणा से संज्ञान लिये जाने से संबंधित है।

आयोग (अधोहस्ताक्षरी) द्वारा दिनांक–01.10.2019 को प्रसंगाधीन मामले में गुण–दोष के आधार पर आदेश पारित कर सरकार को कांड के दोनों मृतक पीड़ितों, मो0 तसलीन अंसारी तथा मो0 गुफरान आलम, को क्रमशः पांच लाख रुपये तथा सात लाख रुपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति किये जाने का निर्देश दिया गया।

गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के पत्रांक–3302, दिनांक–15.06.2020 के द्वारा सूचित किया गया है कि आयोग के उक्त आदेश के आलोक में पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के जिलाधिकारी द्वारा पीड़ित मृतक गुफरान आलम की पत्नी श्रीमती शबनम खातून व अविवाहित पीड़ित मृत्तक मो0 तसलीम अंसारी के पिता मो0 मुलाजिम को क्रमशः सात लाख रुपये व पांच लाख रुपये, चेक संख्या–446092 व 446106 द्वारा भुगतान कर दिया गया है।

अब, जबकि आयोग के आदेश का सरकार द्वारा अनुपालन कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार, पटना द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन (पृ0102–58/प0) की प्रति संलग्न कर पीड़ित मृतक गुफरान आलम की पत्नी, श्रीमती शबनम खातून, ग्राम–रमडिहा, पो0–चकिया, जिला–पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी तथा दूसरे पीड़ित मृतक मो0 तसलीम अंसारी के पिता–मो0 मुलाजिम, ग्राम–रमडिहा, पो0–चकिया, जिला–पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

सहायक निबंधक

Bihar Human Rights Commission, Patna